(वाद सं0–3335/4/28/2020)

27.06.2022

परिवादी, विनय कुमार, पंचायत शिक्षक, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C NO-23556/2018 व 10412/2019 के अन्तर्गत क्रमशः दिनांक–01.03.2019, दिनांक–08.05.2019 को पारित आदेश के द्वारा रोहतास जिला के काराकाट प्रखण्डन्तर्गत परिवादी, विनय कुमार सहित अन्य नियोजित शिक्षकों के विरूद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, स्थापना, रोहतास द्वारा की गयी कार्रवाई पर स्थगन आदेश पारित किये जाने के बाद भी जुलाई 2018 से वेतन का भुगतान न किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्निन जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास के प्रतिवेदनानुसार माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रसंगाधीन दोनों रिट याचिकाओं में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है। प्रतिवेदनानुसार उपरोक्त दोनों रिट याचिकाओं में राज्य सरकार की ओर से प्रति–शपथ–पत्र दाखिल कर दिया गया है। जिसमें अभी तक माननीय न्यायालय द्वारा कोई अन्तरिम आदेश नहीं पारित किया गया है। प्रतिवेदनानुसार परिवादी की नियुक्ति नव भारत शिक्षा परिषद्, उड़ीसा द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र के आधार पर हुई है, जो राज्य सरकार द्वारा अमान्य संस्था की सूची में है, जिस कारण परिवादी को वेतन भुगतान किया जाना नियमानुकूल नहीं है।

आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित परिवादी यह स्वीकार करते है कि नव भारत शिक्षा परिषद्, उड़ीसा, द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र के आधार पर नियुक्ति का विषय माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

अब, जबकि परिवादी की नियुक्ति का विषय ही माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त नियुक्ति के आधार पर परिवादी के वेतन भुगतान के विषय पर राज्य आयोग के स्तर से कोई निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिवादी को यह सलाह दी जाती है कि वह इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय में विधिनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष हेतु याचना कर सकते हैं।

राज्य आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले को जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के प्रतिवेदन के आलोक में इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक